असंगठित सड़क परिवहन मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाऐं।
उबर/ओला/पोर्टर आदि का एक ऐप विकल्प विकसित करें।
सड़क परिवहन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एमवी एक्ट 2019 में संशोधन करें।
दिनांक 06–10–2023 को राजभवन चलो में भाग लें और सफल बनायें।

प्रिय भाइयों/बहनों,

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन देश के सभी रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से उद्योग की रक्षा और मजदूरों की बेहतरी के लिए 06 अक्टूबर 2023 को राजभवन मार्च में भाग लेने की अपील करता है।

सड़क परिवहन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 85 प्रतिशत यात्रियों और लगभग 60 प्रतिशत सामानों का परिवहन सड़क परिवहन के माध्यम से किया जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 4.60 प्रतिशत है। कृषि के बाद यह सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला उद्योग क्षेत्र है। सड़क परिवहन क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ कर्मचारी सीधे तौर पर काम कर रहे हैं। इनमें से लगभग 95 प्रतिशत मजदूर असंगठित सड़क परिवहन क्षेत्र में हैं।

इन मजदूरों की स्थितियां बहुत दयनीय हैं। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर सभी प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी चौबीसों घंटे सड़कों पर रहना पड़ता है। लेकिन विडम्बना यह है कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और जुर्माने के तौर पर भारी रकम वसूली जाती है। यद्यपि उनका न्यूनतम वेतन तय किया जाना चाहिए और समय–समय पर संशोधित भी किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश राज्यों में ऐसा नहीं किया जा रहा है। वे पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, 8 घंटे का काम, साप्ताहिक आराम आदि जैसे वैधानिक लाभों से वंचित हैं। उनके पास सामाजिक सुरक्षा कवरेज नहीं है। इस स्थिति को बदलना होगा और मजदूरों को वैधानिक लाभों के दायरे में लाना ही होगा चाहे काम करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी भी हो और यहाँ तक कि वे स्वरोजगार में हों तो भी। असंगठित सड़क परिवहन मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए।

उबर/ओला/रैपिडो/पोर्टर आदि ऐप आधारित प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवरों को काफी परेशानी हो रही है। कम्पनियां 25–30 प्रतिशत कमीशन वसूल कर और बिना कोई अवसर दिए एकतरफा नाम हटाकर ड्राइवरों का खून निचोड़ रही हैं। उन्हें उन कम्पनियों का कर्मचारी नहीं माना जाता है। यह माँग की गई है कि केन्द्र सरकार को एक वैकल्पिक ऐप विकसित करना चाहिए क्योंकि केरल सरकार ने ''सवारी'' नामक एप को विकसित किया है और राज्य में यह काम कर रही है।

केन्द्र सरकार ने पूरे सड़क परिवहन क्षेत्र को बड़े कॉरपोरेट्स को सौंपने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में एमवीएक्ट 1988 में संशोधन किया है। जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है. वाहन स्क्रैपिंग नीति छोटे वाहन मालिकों के लिए हानिकारक है।

एमवीएक्ट संशोधन 2019 में कई धाराएं शामिल की गई हैं जो एसटीयू (आरटीसी) के लिए हानिकारक हैं। सकल लागत अनुबंध प्रणाली के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत से एसटीयू का राजस्व निजी ऑपरेटरों के पास जा रहा है और यह एसटीयू के लिए सफेद हाथी बन गया है।

भारत सरकार से माँग की गई है कि सड़क परिवहन क्षेत्र, एसटीयू की सुरक्षा के लिए एमवीएक्ट 2019 में संशोधन किया जाए और जुर्माने में भारी कमी की जाए।

एआईआरटीडब्ल्यूएफ देश के सभी सड़क परिवहन मजदूरों से निम्नलिखित माँगों पर भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए 06 अक्टूबर को सभी राज्यों में बड़ी संख्या में ''राजभवन तक मार्च'' में भाग लेने की अपील करता है।

1) असंगठित सड़क परिवहन मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाऐं।
2) ईएसआई, पीएफ आदि के कार्यान्वयन के लिए कानूनों में उचित संशोधन किया जाए और एमटीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाए।
3) सेक्टर, एसटीयू की सुरक्षा और जुर्माने में भारी कमी करने के लिए एमवी.एक्ट 2019 में संशोधन किया जाना चाहिए।
4) एसटीयू को मजबूत और विस्तारित किया जाना चाहिए।
5) केन्द्र सरकार को उबर/ओला/रैपिडो/पोर्टर आदि के लिए वैकल्पिक ऐप विकसित और संचालित करना चाहिए।
6) पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए।
7) डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाऐं।
8) चारों लेबर कोड वापस लिए जाऐं।

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन